

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और जलवायु परिवर्तन

प्रलिस के लयः

UNFCCC, UNGA, पेरसऱ समझौता, UNCLOS, NDC, ग्लोबल वार्मगऱ, ICJ


मेन्स के लयः

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और जलवायु परिवर्तन ।

चरुा में क्यौं?

[संयुक्त राष्ट्र महासभा \(UNGA\)](#) ने [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फरेमवरु अडसऱमय \(UNFCCC\)](#) के आडार पर जलवायु परिवर्तन के प्ररतऱ देशों के दायतऱत्वों पर एक प्रसुताव पारतऱ करके [अंतरराष्ट्रीय न्यायालय \(ICJ\)](#) से अपनी राय देने का नरऱदेश दयऱ है ।

- इस प्रसुताव को वशऱव के सबसे डुटे देशों में से एक, प्रशांत के वानुअतु दवीप द्वारा आगे बढाया गया था, एक दवीप जो वरुष 2015 में [चकरवात](#) पाम के प्रभाव से तबाह हो गया था, माना जाता है कथऱह जलवायु परिवर्तन से प्रेरतऱ था जसऱने इसकी 95% फसलों को नषुट दयऱ और इसकी दो-तहऱई आबादी को प्रभावतऱ कयऱ ।





प्रस्ताव:

- UNGA ने ICJ से दो प्रश्नों के उत्तर पूछे:
 - वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिये जलवायु प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्यों के क्या दायित्व हैं?
 - राज्यों के लिये **इन दायित्वों के अंतर्गत कानूनी कर्तव्य क्या हैं**, जहाँ उन्होंने अपने कृत्यों और लापरवाहियों से जलवायु प्रणाली को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाया है, विशेष रूप से छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों (SIDS) और उन लोगों के लिये जिन्हें क्षति हुई है।
- यह प्रस्ताव **पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)** जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों को संदर्भित करता है।
- ICJ को अपनी राय देने में करीब 18 महीने लगेंगे।

भारत की स्थिति:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है, लेकिन यह **सामान्यतः जलवायु न्याय और ग्लोबल वार्मिंग** के लिये जवाबदेही का **समर्थन** करता है।
- भारत सरकार ने इसके नहितार्थ और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का आकलन करने के लिये कानूनी अधिकारियों को संकल्प भेजा है।
- भारत ने अपनी **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** प्रतबद्धताओं को अद्यतन किया है और 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी आधी बजिली प्राप्त करने की योजना बनाई है, लेकिन इसने मसौदा प्रस्ताव को सह-प्रायोजित नहीं किया।
- भारत **संकल्प के प्रति अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों की प्रतिक्रिया** को अद्यतन संसूचित रूप से देख रहा है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिये उनका समर्थन महत्वपूर्ण है।
- भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ICJ प्रक्रिया केवल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित कर सकती है **और किसी एक देश को लक्षित नहीं कर सकती है**। भारत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "टॉप-टू-बॉटम" आधार पर राय थोपने के किसी भी प्रयास का **वरोध** किया जाएगा।

क्या ICJ की राय बाध्यकारी है?

- ICJ की सलाह नरिणय के रूप में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन यह कानूनी महत्त्व और नैतिक अधिकार रखती है।
- यह अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों पर महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है, साथ ही COP प्रक्रिया में जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, नुकसान तथा क्षति निधि से संबंधित मुद्दों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है।
- अतीत में ICJ की सलाहकारी राय का फिलीपीन्स संघर्ष और चागोस द्वीपों पर यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरीशस के बीच विवाद जैसे मामलों में पालन किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय:

- वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय' पर हस्ताक्षर किये गए, जिसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit), रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
 - भारत उन चुनदा देशों में शामिल है, जसिने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC), जैवविविधता (जैविक विविधता पर सम्मेलन) और भूमि **संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय** पर तीनों रियो सम्मेलनों की मेज़बानी की है।
- UNFCCC 21 मार्च, 1994 से लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
- यह वर्ष 2015 के **पेरिस समझौते** की मूल संधि (Parent Treaty) है। UNFCCC वर्ष 1997 के **क्योटो प्रोटोकॉल** (Kyoto Protocol) की मूल संधि भी है।
- UNFCCC सचिवालय (यूएन क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। यह **बॉन (जर्मनी)** में स्थित है।
- इसका उद्देश्य वातावरण में **ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है**, जिससे एक समय-सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके ताकि पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[[[?]]]]:

प्रश्न. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? (2018)

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल
- UNEP सचिवालय
- UNFCCC सचिवालय
- वर्षि मौसम विज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ", UNFCCC सचिवालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक पहल है।
- जलवायु तटस्थता के उद्देश्य के साथ यह पहल 'मोमेंटम फॉर चेंज' के तहत काफी महत्त्वपूर्ण है।
- जलवायु तटस्थता प्राप्त करने के लिये, लोगों, व्यवसायों और सरकारों को पहले अपने कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने की आवश्यकता है और फिर संयुक्त राष्ट्र-प्रमाणित उत्सर्जन कटौती के माध्यम से क्षतिपूर्ति करते हुए जितना संभव हो, उतना उत्सर्जन में कटौती करनी चाहिये।

अतः विकल्प (c) सही है।

[[[?]]]]:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

स्रोत: द हिंदू

